

पटना उच्च न्यायालय में

श्रीमती सावित्री जोशी एवं अन्य

बनाम

रामेश्वर याज्ञनिक उर्फ लाल साहब एवं अन्य

प्रथम अपील संख्या 131, 2014

03 फरवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिवादी/अपीलकर्ता अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं?

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता - आदेश XXXIX, नियम 1 और 2 - निषेधाज्ञा प्रदान करने से संबंधित सिद्धांत - प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं की ओर से अंतरिम आवेदन जिसमें प्रतिवादियों को किसी भी तरह से वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने से रोकने और प्रथम अपील के अंतिम निपटारे तक अपीलकर्ताओं को विवादित भूमि से बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने की प्रार्थना की गई है।

निर्णय: निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय न केवल इससे संबंधित मूल तत्वों पर विचार करेगा, अर्थात् प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व, सुविधा और अपूरणीय क्षति का संतुलन, बल्कि उसे पक्षों के आचरण पर भी विचार करना होगा - वर्तमान मामले में, निचली अदालत में प्रतिवादियों के लिखित बयान में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वादी ने किसी अन्य मौजा की संपत्ति बेची है, बल्कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वादी प्रतिवादियों को आवंटित मौजा की भूमि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा बेची गई है, इस प्रकार, प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं का आचरण ऐसा है कि वे किसी भी

राहत के हकदार नहीं हैं - निषेधाज्ञा प्रदान करना एक न्यायसंगत राहत है - एक व्यक्ति जो लंबे समय तक चुप रहा और किसी अन्य को संपत्तियों से विशेष रूप से निपटने की अनुमति दी, आमतौर पर निषेधाज्ञा के आदेश के हकदार नहीं होंगे - यहां अपीलकर्ता अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टया मामला बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि वे मुकदमे के दौरान संपत्ति के खरीदार हैं। वाद लंबित होने के कारण - प्रथम दृष्टया कोई मामला न होने के कारण, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन नहीं है और किसी भी अपूरणीय क्षति या क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता - अंतरिम आवेदन खारिज किया जाता है। (पैरा - 18-20)

न्याय दृष्टान्त

मंडली रंगन्ना एवं अन्य बनाम टी. रामचंद्र एवं अन्य एआईआर 2008 एससी 2291
.....आधारित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

निषेधाज्ञा प्रदान करना - वाद भूमि का हस्तांतरण - बलपूर्वक बेदखल करना - प्रथम दृष्टया मामला - सुविधा का संतुलन - अपूरणीय क्षति - न्यायसंगत राहत - पक्षकारों का आचरण।

प्रकरण से उत्पन्न

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का पहला अपील सं.131

=====

श्रीमती सावित्री जोशी, और अन्य

... .. अपीलकर्ताओं

बनाम

रामेश्वर याग्निक उर्फ लाल साहब और अन्न

... .. उत्तरदाताओं

=====

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक आदेश

16 03-02-2023 2014 का आई.ए. सं.7169

यह अपील अपीलकर्ताओं की ओर से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 (इसके बाद 'दी.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि वे उत्तरदाताओं को किसी भी तरह से वाद भूमि को अलग करने/बोझ डालने से रोकें और पहली अपील के अंतिम निपटारे तक उन्हें विवादित भूमि से अपीलकर्ताओं को जबरन बेदखल करने से रोकें।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार दुबे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान अपील 2010 के स्वामित्व वाद सं.72 में पारित 28.04.2014 के फैसले और डिक्री से उत्पन्न होती है। पश्चिम चंपारण में विद्वान उप-न्यायाधीश-IV, बेतिया ने 1949 के

स्वामित्व वाद सं.159 में पारित डिक्री के संदर्भ में मुकदमे का फैसला सुनाया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपील के तहत निर्णय और डिक्री आदेश XII नियम 6 दी.प्र.सं. के संदर्भ में पारित की गई है। इस संबंध में उन्होंने विद्वान उप-न्यायाधीश-चतुर्थ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2014 आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त तिथि पर प्रतिवादी सं.1 से 5 ने इस आधार पर स्थगन के लिए अनुरोध करते हुए एक अपील दायर किया कि विद्वान उप-न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.06.2014 के आदेश के खिलाफ, वे 2013 के दीवानी रिट छेत्राधिकार मामला सं.15592 में माननीय उच्च न्यायालय गए थे और यह विचाराधीन था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान उप-न्यायाधीश ने स्थगन के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और आदेश XII नियम 6 दी.प्र.सं. के तहत विवादित निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़े और साथ ही मुकदमे को आदेश देते हुए 43 पृष्ठों का निर्णय दिया।

3. श्री दुबे ने जल्दबाजी में विवादित निर्णय पारित करने में विद्वान उप-न्यायाधीश के आचरण पर सवाल उठाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने पक्षों को कोई भी साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी पेश करने की अनुमति नहीं दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता मुकदमे की संपत्तियों को बेचने में लिस रहे हैं, जिससे आपराधिक मामले भी बढ़े हैं, इसलिए, उत्तरदाताओं को संपत्तियों से निपटने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना उचित होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विचारण न्यायालयने वादी-उत्तरदाताओं द्वारा लाई गई निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन वादी/उत्तरदाताओं द्वारा उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

4. वादी का मामला, जैसा कि कहा गया है कि बिंध्यवासिनी प्रसाद याग्निक (जानी उर्फ बच्चन बाबू) की दो पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम दुर्गा शंकर याग्निक था। दुर्गा शंकर याग्निक की दो शादियाँ हुई थीं। अपनी पहली पत्नी रमा

देवी से उन्हें त्रिपुरारी शंकर याज्ञिक नाम का एक पुत्र हुआ। अपनी दूसरी पत्नी मनोरमा देवी से उन्हें एक बेटा अरुण और छह बेटियाँ हुईं। बिंध्यवासिनी प्रसाद याग्निक को अपनी दूसरी पत्नी कृष्ण कुमारी देवी से तीन बेटे राजेश्वर, रामेश्वर और चंदेश्वर और एक बेटा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा शंकर याज्ञिक का मृत्यु वर्ष 1989 में हुआ था और वे अपने पीछे अपनी पहली पत्नी रमा देवी से एक पुत्र त्रिपुरारी शंकर याज्ञिक, दूसरी पत्नी मनोरमा देवी और उनके पुत्र अरुण कुमार याज्ञिक उर्फ बच्चाजी और छह पुत्रियाँ छोड़ गए थे।

5. दुर्गा शंकर याज्ञिक ने ही स्वामित्वविभाजन का मुकदमा दायर किया था, जिसके परिणामस्वरूप टी.पी.एस. संख्या 159/1949 का जन्म हुआ। उक्त वाद एक समझौते के आधार पर तय किया गया था। उक्त मुकदमे में अनुसूची IV और अनुसूची VI क्रमशः गाँव 'चडीहानी' और 'बसंतपुर' की संपत्तियाँ थीं जो रामेश्वर याग्निक और कृष्ण कुमारी देवी को आवंटित की गई थीं। दूसरी पत्नी रामेश्वर और चंदेश्वर के बेटे अनूप के परिवार ने 2010 का टी.एस. सं.72 दाखिल किया। दुर्गा शंकर और उनके कानूनी उत्तराधिकारी 2010 के टी.एस. में उत्तरदाता हैं। इस मुकदमे में अधिकार की घोषणा और कब्जे की पुष्टि और प्रतिवादियों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई है। अभियोग की अनुसूची-II में प्रकट की गई संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे के साथ। वादी-उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे अपनी-अपनी भूमि पर अपने अनन्य कब्जे में आए थे और वे अपने आवंटित हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जे में आ रहे हैं। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादि सं.1 कुछ अन्य प्रतिवादियों और कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर वास्तविक कागजात छिपाकर वादी का नाम रद्द करने के बाद उनके नाम में बदलाव किया गया और वे उक्त अवैध जामबंदी के आधार पर अनुसूची-II की भूमि का निपटान करने का इरादा रखते थे।

6. प्रतिवादि उपस्थित हुए और कम-से-कम समान आधार लेते हुए मुकदमे का विरोध किया। उन्होंने मुकदमे की स्थिरता पर ही सवाल उठाया और यह तर्क दिया गया

कि 1949 के स्वामित्व वाद सं.159 में समझौता डिक्री के समय, जमींदारी का कोई उन्मूलन नहीं हुआ था, इसलिए जमींदारी के उन्मूलन के बाद 1949 के विभाजन वाद संख्या 159 में प्राप्त डिक्री निष्क्रिय और अमान्य हो गई। जहाँ तक दो उपहार विलेखों के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। कृष्ण कुमारी देवी ने अपनी सौतेली बेटियों के पक्ष में, वादी ने दावा किया कि वे केवल दस्तावेज दिखा रही थीं और उस आधार पर वे कभी भी कब्जे में नहीं आई थीं। हालाँकि, प्रतिवादियों ने इसका विरोध किया और प्रस्तुत किया कि 31.01.1962 दिनांकित उपहार विलेख एक अच्छा दस्तावेज है और कथित रद्द करने का कोई कानूनी बल नहीं है।

प्रतिवादियों , इसलिए, मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दलीलों के पूरा होने के बाद मुद्दों को तैयार किया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी ने 07.04.2014 दिनांकित एक अपील दायर किया और मुकदमे के निपटारे के लिए प्रार्थना की। नीचे की विद्वत अदालत ने प्रमुख साक्ष्य का कोई अवसर दिए बिना विवादित निर्णय और डिक्री के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाया है। वादी-उत्तरदाता अब भूमि की बिक्री के लिए स्थानीय व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

8. अपीलकर्ता दुर्गा शंकर याग्निक की दूसरी पत्नी मनोरमा से उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं और कुछ अपीलकर्ता 2010 के टी.एस. सं.72 के प्रतिवादियों से विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम से खरीदार हैं। उन्होंने दावा किया कि वे विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे कर रहे हैं। यह कहा गया है कि उनकी खरीद के आधार पर, उन्होंने 16.07.2010 पर आदेश । नियम 10 (2) दी.प्र.सं. के तहत एक अपील दायर किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायलय ने दिनांकित 19.01.2011 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी थी, लेकिन विद्वान विचारण न्यायलयने उन्हें साक्ष्य देने का कोई अवसर नहीं दिया था। यह आगे कहा गया है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादी ने एक संशोधन याचिका दायर की

थी जिसे 28.05.2013 दिनांकित आदेश के माध्यम से लागत के भुगतान के अधीन अनुमति दी गई थी, जिसके खिलाफ प्रतिवादि सं.1 से 5 ने 2013 का दीवानी रिट छेत्राधिकार मामला सं.15592 होने के नाते एक रिट अपील दायर किया। वादी ने कभी भी लागत का भुगतान नहीं किया, फिर भी विद्वत विचारण न्यायालय ने वादी को संशोधन को शामिल करने की अनुमति दी और अंत में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्णय 2013 के दीवानी रिट छेत्राधिकार मामला सं.15592 में पारित आदेश के परिणाम के अधीन होगा, विवादित निर्णय के माध्यम से वाद का आदेश दिया।

9. तर्क के दौरान, श्री दुबे, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 1949 के विभाजन वाद संख्या 159 में प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं को आवंटित भूमि वादी द्वारा बेची गई थी। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि 2010 की टी.एस. संख्या 72 में दायर लिखित बयान में, प्रतिवादियों ने उपरोक्त प्रभाव के लिए कोई बयान नहीं दिया है। विद्वान अधिवक्ता किशोर सिंह रतनसिंह जडेजा बनाम मारुति कार्पोरेशन एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 2882 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर निर्भर करते हैं। और महारवाल खेवाजी ट्रस्ट (विनियमित) फरीदकोट बनाम बलदेव दास ने ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 104 के मामले में, यह प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन दिया कि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए, यह न्यायालय दोनों पक्षों को मुकदमे की संपत्तियों की प्रकृति, अलगाव या संपत्ति के हस्तांतरण को बदलने से रोक सकता है।

10. श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए और अपील का विरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्गा शंकर याग्निक, प्रतिवादि सं. 1 से 5 को 1949 के विभाजन मुकदमे सं.159 में वादी था जिसमें 03.01.1951 पर एक समझौता डिक्री पारित की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान उस निर्णय के कंडिका '16' की ओर आकर्षित किया है जिसमें अभिलिखित किया है कि "स्वीकार्य रूप से एक पूर्व विभाजन वाद सं.159/49 स्थापित किया गया और पार्टियों के पूर्वजों के बीच

समझौता किया गया। उक्त मुकदमे में तैयार अंतिम आदेश को अपील के तहत फैसले में उद्धृत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उक्त मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 श्री पंडित विंध्यवासिनी प्रसाद याज्ञिक उर्फ बचन बाबू (प्रतिवादी संख्या 1) के पुत्र थे और प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 1 की दूसरी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी थीं। उक्त मुकदमे में वादी दुर्गा शंकर थे, जो उनकी पहली पत्नी के पुत्र थे। दावा विवादित संपत्तियों में 1/6 हिस्से के बंटवारे और अलग तख्ता आवंटन के लिए था। उक्त मुकदमे में दायर समझौता याचिका अपील के तहत फैसले में भी पुनः प्रस्तुत की गई है।

11. विद्वान अधिवक्ता श्री वर्मा ने इस न्यायालय का ध्यान अनुसूची सं. IV जो प्रतिवादी सं.3 रामेश्वर याज्ञिक को आवंटित किया गया था। यह बताया गया है कि उन्हें पंडितपुर बनारस तौजी सं.1401 की '8 आना' और मौजा 'चड़ीहानी' की '16 आना' मिली थी। इसी तरह अनुसूची सं.VI के तहत प्रतिवादी सं.5 श्रीमती कृष्ण कुमारी देवी को पूरा 'बसंतपुर' मौजा मिला। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मुकदमा रामेश्वर द्वारा वादी वादी संख्या 2 और चंदेश्वर का पुत्र (वादी संख्या 2)। 'बसंतपुर' मौज में 107.51 एकड़ था जबकि 'चड़ीहानी' में 81.29 एकड़ था। वर्तमान मुकदमा केवल 'बसंतपुर' और 'चड़ीहानी' मौज के लिए था। वादी को 1949 के टी.पी.एस. सं.159 में पारित निर्णय और डिक्री के लिए सम्मान मिला है।

12. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं में से एक यानी अपीलकर्ता सं.30 इस मामले में स्वर्गीय दुर्गा शंकर याज्ञिक के पुत्र अरुण कुमार याज्ञिक हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 1949 के विभाजन वाद सं.159 में पारित समझौता याचिका और समझौता डिक्री को कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1949 के विभाजन वाद संख्या 159 में, समझौता याचिका में संपत्तियों का सीमांकन किया गया था और तदनुसार कब्जा दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों ने समझौते के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है। 22, 2010 की टी. एस. संख्या

72 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किए गए हैं और 13.08.2010 पर लिखित बयान दर्ज करने के बाद प्रतिवादियों द्वारा पूरी 'चरहानी' और 'बसंतपुर' संपत्तियों को बेच दिया गया है। उन्होंने **मंडली रंगन्ना और अन्य बनाम टी. रामचंद्र और अन्य ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2291** में रिपोर्ट किए गए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। (कंडिका18) यह प्रस्तुत करने के लिए कि अंतरिम निषेधाज्ञा के मामले में पक्षों का आचरण भी देखा जा सकता है। इस मामले में, उनके अनुसार, प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर करने के बाद मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेखों को निष्पादित किया है जो दर्शाता है कि वे मामले को साफ हाथों से नहीं लड़ रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। कन्हैयाजी सहाय और अन्य बनाम कमला प्रसाद और अन्य 1990 में एक और रिपोर्ट (1) पी.एल.जे.आर. 661 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और बेस्ट सेलर्स रिटेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड और अन्य के (2012) 6 एस. सी. सी. 792 (कंडिक 29 और 30) मामले में यह प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है कि केवल भूमि की बिक्री से कोई अपूरणीय हानि/चोट नहीं होने वाली है क्योंकि एलआईएस पेंडेंस का कानून ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करेगा। विद्वान अधिवक्ता श्री वर्मा ने **इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और ए.एन.आर. (2011) 12 एस.सी.सी. 588** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। और यह प्रस्तुत करने के लिए कि 1949 के स्वामित्वविभाजन वाद संख्या 159 में पारित निर्णय और डिक्री से छुटकारा पाने के लिए प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प उचित मंच से संपर्क करना था। उक्त निर्णय और डिक्री से बचने के लिए इसे सक्षम अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

13. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादि-अपीलकर्ता अंतरिम निषेधाज्ञा के हकदार नहीं हैं जो एक न्यायसंगत राहत की प्रकृति में है। **हनुमंतप्पा बनाम**

मुनिनारायणप्पा (1996) 11 एससीसी 696 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक आदेश XII नियम 6 के तहत निर्णय पारित करने का संबंध है, उक्त प्रावधान का केवल अवलोकन करने से ही पता चलता है कि इसे बहुत व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है और "तथ्यों की स्वीकृति, चाहे अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में" अभिव्यक्ति को व्यापक रूप में शामिल किया गया है और ऐसे मामलों में स्वीकृति का अनुमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। उन्होंने करम कपाही एवं अन्य बनाम मेसर्स लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य ने एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट 2077 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। आगे यह भी कहा गया है कि वास्तव में वादी-उत्तरदाता ही हैं जो अपने पक्ष में निर्णय और डिक्री होने के बावजूद पीड़ित हैं। इस प्रकार, यह कहा गया है कि अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाला आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

विचार करें

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान अंतर्वर्ती अपील प्रतिवादि-अपीलकर्ताओं की ओर से वादी-उत्तरदाताओं को अपील के लंबित रहने के दौरान वाद भूमि को अलग करने/बोझ डालने और स्थानांतरित करने और वाद भूमि की स्थिति को बदलने से रोकने के लिए दायर किया गया है।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से उक्त प्रावधान के तहत कोई उचित अपील किए बिना आदेश XII नियम 6 दी.प्र.सं. के तहत मुकदमे का फैसला सुनाया है। उन्होंने 28.04.2014 को स्थगन की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए एक साथ 43 पृष्ठों का निर्णय दिए जाने पर प्रश्न उठाया है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि इस निवेदन

पर केवल अपील की अंतिम सुनवाई के समय ही विचार किया जा सकता है। फ़िलहाल, यह न्यायालय केवल यह देखेगा कि क्या अपीलकर्ताओं ने आदेश XXXIX नियम 1 और 2 दी.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा के लिए कोई मामला बनाया है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि पहले स्वामित्वविभाजन वाद सं.159/1949 को जन्म देने वाला स्वामित्वविभाजन वाद दुर्गा शंकर याग्निक (अपीलकर्ता सं.30 के पिता) द्वारा दायर किया गया था। उक्त मुकदमे में, एक समझौता दायर किया गया था और समझौते के संदर्भ में मुकदमा तय किया गया था। अनुसूची IV और अनुसूची VI में क्रमशः गाँव 'चरहानी' और 'बसंतपुर' की संपत्तियाँ थीं जो 2010 के स्वामित्व वाद सं.72 में रामेश्वर याग्निक (वादी संख्या1) और उनकी माँ कृष्ण कुमारी देवी को आवंटित की गई थीं। समझौता याचिका में संपत्तियों का सीमांकन किया गया था और यह वादी-उत्तरदाताओं का मामला है कि कब्जा भी उसी के अनुसार दिया गया था। यह विवाद में नहीं है कि स्वामित्व विभाजन वाद सं.159/1949 में पारित उक्त समझौता डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। वादी ने स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए 2010 का स्वामित्व वाद सं 72 दायर किया और आगे प्रतिवादि को अनुसूची II भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की। अनुसूची II भूमि मौज़ा 'बसंतपुर' मापने का क्षेत्र 107.51 एकड़ और मौज़ा 'चड़ीहानी' मापने का क्षेत्र 81.29 एकड़ की भूमि है। मान लीजिए कि ये दोनों मौज़ा क्रमशः कृष्ण कुमारी देवी और रामेश्वर याग्निक को विभाजन स्वामित्ववाद सं.159/1949 में आवंटित किए गए थे।

17. विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि अरुण याग्निक (प्रतिवादि संख्या 1), जो दुर्गा शंकर याग्निक के बेटे हैं, ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान यानी वर्ष 2011 में अदालत की कोई पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुकदमे की अधिकांश भूमि को अपने विक्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुकदमे के दौरान

पूर्व अनुमति के बिना अलगाव अदालत को गुमराह करने के लिए प्रतिवादियों के बीच मिली-जुली सांठगांठ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी 22 बिक्री विलेखों को प्रतिवादि सं.1 2010 के स्वामित्व वाद सं.72 में पहले से ही उपस्थिति दर्ज की गई थी। नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने आगे दर्ज किया है कि दुर्गा शंकर याज्ञिक ने मौज़ा पचगचिया और रामपुर के संबंध में सीता देवी के पक्ष में कुल 9 बीघा 10 कथा और 17 धुर क्षेत्र के लिए 28.08.1962 पर बिक्री विलेख निष्पादित किया था। विद्वत विचारण न्यायलयने यह दर्ज किया है कि दुर्गा शंकर याज्ञिक और राजेश्वर प्रसाद याज्ञिक को पचगचिया की भूमि में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी, लेकिन दोनों ने 1949 के विभाजन मुकदमे के डिक्री में अपने आवंटित हिस्से से अधिक बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था। निम्नलिखित विद्वत न्यायालय ने 1949 के विभाजन वाद सं. 159 और की समझौता डिक्री की घोषणा के संदर्भ में 2010 के स्वामित्ववाद सं. 72 का फैसला सुनाया है। प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं को मुकदमे की भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

18. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दी गई परिस्थिति में, यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है और वाद संपत्ति के संबंध में वादी-उत्तरदाताओं द्वारा आगे बिक्री विलेख निष्पादित किए जाते हैं, तो यह मुकदमेबाजी की बहुलता को जन्म दे सकता है। वादी-उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ताका तर्क यह है कि यह दर्शाने वाली भारी सामग्री है कि वादी-उत्तरदाताओं को 1949 के स्वामित्वविभाजन मुकदमे में अनुसूची IV और अनुसूची VI संपत्तियां आवंटित की गई थीं, अदालत में प्रतिवादियों के लिखित बयान में कोई फुसफुसाहट नहीं है कि वादी ने किसी अन्य मौज़ा की संपत्ति बेच दी है, बल्कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वादी-उत्तरदाताओं को आवंटित मौज़ा की भूमि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान

प्रतिवादियों द्वारा बेची गई है, इस प्रकार, प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं का आचरण ऐसा है कि वे किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं हैं।।

19. यह न्यायालय इस स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कंडिका '18' और '22' को पुनः प्रस्तुत करेगा। **मण्डली रंगन्ना और अन्य** के मामले में न्यायालय (उपरोक्त):.

“18. निषेधाज्ञा देने के लिए एक अपील पर विचार करते समय, न्यायालय न केवल उसके संबंध में बुनियादी तत्वों पर विचार करेगा, अर्थात्, प्रथम दृष्टया एक मामले का अस्तित्व, सुविधा और अपूरणीय क्षति का संतुलन, इसे पक्षों के आचरण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

निषेधाज्ञा देना एक न्यायसंगत राहत है। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक चुप रहा और दूसरे को विशेष रूप से संपत्तियों से निपटने की अनुमति दी, आम तौर पर निषेधाज्ञा के आदेश का हकदार नहीं होगा। न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि संपत्ति बहुत मूल्यवान है। हालाँकि, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का गंभीर परिणाम होता है जो इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायालयों को पक्षों के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालयों की ओर से विवेक का प्रयोग अनिवार्य है। पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों को निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

22. सीमा अरशद जहीर और अन्य बनाम नगर निगम ग्रेटर मुंबई और अन्य (2006) 5 एस.सी.सी. 282 के इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“30. अदालत के विवेकाधिकार का उपयोग अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए केवल तभी किया जाता है जब वादी द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताएं की जाती हैं; (i) एक प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व जैसा कि अनुरोध किया गया है, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करके वादी के अधिकारों की

सुरक्षा की आवश्यकता होती है; (ii) जब वादी के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता की तुलना उत्तरदाता के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता या उत्तरदाता के अधिकारों के संभावित उल्लंघन के साथ की जाती है या तौली जाती है, तो सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में झुक जाता है; और (iii) वादी को अपूरणीय क्षति होने की स्पष्ट संभावना है यदि अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है। इसके अलावा, अस्थायी निषेधाज्ञा एक न्यायसंगत राहत देने के कारण, इस तरह की राहत देने के विवेकाधिकार का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब वादी का आचरण दोष से मुक्त हो और वह साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाए।”

(संचरण निगम को भी देखें ए.पी. लिमिटेड बनाम लैंको कॉडापल्ली पावर (पी)

लिमिटेड ((2006) 1 एससीसी 540) ”

20. यह न्यायालय वादी-उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत होगा कि प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं का आचरण ऐसा है कि वे वादी-उत्तरदाताओं के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की न्यायसंगत राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। प्रतिवादियों अंतरिम निषेधाज्ञा देने के उद्देश्य से आवश्यक प्रथम दृष्टया मामला बनाने में असमर्थ हैं। वे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की संपत्ति के खरीदार होते हैं। प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं होने पर, प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं के पक्ष में सुविधा का कोई संतुलन नहीं होगा और किसी भी अपूरणीय क्षति या चोट का कोई सवाल ही नहीं होगा।

21. प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं की यह याचिका कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो यह कई मुकदमों को जन्म दे सकती है, इस न्यायालय में अपील नहीं करेगी क्योंकि अपीलकर्ता अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला दिखाए बिना केवल इस आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा की न्यायसंगत राहत के हकदार नहीं होंगे।

22. अंतर्वर्ती अपील खारिज कर दिया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।